

2024/319

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट


श्री बसन्तलाल जैन  
निवासी वेरा की गली  
जावाल  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 73 वर्ष 2024

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर य तारीख जो इरा हुकम की तामिल में जारी हुए
19.12.2024	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 01.01.2023 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जावाल नगरपालिका गठित होने के बाद से जावाल नगरपालिका द्वारा कितने पट्टे जारी किए गए हैं एवं किसे जारी की किए गए हैं। उक्त से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए हैं। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 01.01.2023 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जावाल नगरपालिका गठित होने के बाद से जावाल नगरपालिका द्वारा कितने पट्टे जारी किए गए हैं एवं किसे जारी की किए गए हैं। उक्त से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जावाल से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकॉर्ड/2024/323 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा अपीलांत का मूल आवेदन अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जावाल को स्थानान्तरित कर दिया गया है। चूंकि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जावाल के प्रथम अपील अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

  
(अल्पा चौधरी)  
जिला कलक्टर, सिरौही

